भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3081
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए की अधिकतम सीमा

3081. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में त्योहारों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान विमान किराए में मनमाने ढंग से और अत्यधिक वृद्धि की जाती है, जिससे आम यात्रियों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार विमान किराए में इस प्रकार की वृद्धि के संबंध में विमान किराए में वृद्धि की आवृत्ति, अवधि और मात्रा संबंधी कोई डेटा रखती है और यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विमान किराए का विनियमन करने, अधिकतम किराया सीमा तय करने या कोई प्रभावी विनियामक तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत छोटे और बड़े विमानपत्तनों को निजी संस्थाओं को सौंप दिया गया है या सौंपे जाने का विचार है और यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, जनहित और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): हवाई किराए का मूल्य निर्धारण माँग और आपूर्ति की शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अधीन होता है। वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन लागत, विमान क्षमता, सीजनल उतार-चढ़ाव और अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकट मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमन के अधीन नहीं हैं। एयरलाइनों के पास वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए किसी विशेष मार्ग पर अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर हवाई किराए निर्धारित करने की स्वायत्तता है।

सरकार बाजार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आमतौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से दूर रहती है, तथापि, वह सतर्क निगरानी की भूमिका बनाए रखती है और विभिन्न सेक्टरों में क्षमता का पुनर्वितरण करके और अस्थायी किराया सीमाएं लगाकर अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कोविड महामारी, महाकुंभ जैसे त्योहारों के दौरान या पहलगाम घटना और इंडिगो उड़ान व्यवधानों जैसी अन्य असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके यादृच्छिक तरीके से चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराए न वसूलें।

(घ): भारत सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) 2.0 के अनुसार, हवाईअड्डों को मुद्रीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का चयन किया जाता है।
